

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 07.08.2024

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा हत्या के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सिकरीगंज के नेतृत्व में 30नि0 प्रभात सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 359/2024 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 117(2), 351(3), 103 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त आदित्य राज त्रिपाठी उर्फ अनुराग त्रिपाठी पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम अहिरौली खुर्द पोस्ट अहिरौली बुजुर्ग थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 05.08.2024 को वादी मुकदमा व उनके भतीजे को अभियुक्तगण द्वारा मारा पीटा गया था एवं वादी के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास -

आदित्य राज त्रिपाठी उर्फ अनुराग त्रिपाठी पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम अहिरौली खुर्द पोस्ट अहिरौली बुजुर्ग थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

- i. मु0अ0सं0 086/2019 धारा 147,323,336,427,452,504,506 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 161/2023 धारा 147,336,427,504,506 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 359/2024 धारा 190,191(2),191(3),109,117(2),351(3),103 भा0न्या0सं0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी -

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 प्रभात कुमार सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 बैजनाथ बिन्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 रफीउल्लाह खान थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. कां0 राहुल यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर